

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./एफ-1535/2019/ 280

दिनांक : 30/4/19

### आदेश

श्रीमती रीटा माथुर, लैब टेक्नीशियन, अधीन अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को दिनांक 01.06.2019 से 30.06.2019 (30दिवस) तक विदेश भ्रमण (यू.एस.ए) जाने की अनुमति निम्न शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे।

उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी. क्रमांक 779 दिनांक 26.04.2019 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

६.

( मुकुल शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./एफ-1535/2018/ 280

दिनांक : 30/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. श्रीमती रीटा माथुर, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राजस्थान, जयपुर